



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 26.9.2023

- थाना रूरा पुलिस की त्वरित कार्यवाही से महिला सम्बन्धी अपराध में वांछित अभियुक्त को मात्र 10 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार।
- थाना रूरा पुलिस की कार्यवाही से मु0अ0सं0 328/2023 धारा 376(3) भा0द0वि0 व 3/4(2) पाक्सो एक्ट में वांछित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 25.09.2023 को वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रूरा पर मु0अ0सं0 328/2023 धारा 376 (3) भा0द0वि0 व धारा 3/4(2) पास्को एक्ट बनाम सुनील कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम बलेथा थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात पंजीकृत हुआ था। जिसमे थाना रूरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम बलेथा थाना रूरा कानपुर देहात को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 26.09.2023 को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. सुनील कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम बलेथा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार अभियुक्त आपराधिक इतिहास –

1. पर मु0अ0सं0 328/2023 धारा 376 (3) भा0द0वि0 व धारा 3/4(2) पास्को एक्ट थाना रूरा कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री कपिल दुबे थाना रूरा कानपुर देहात
2. का0 322 राकेश थाना रूरा कानपुर देहात
3. का0 269 सौरभ पटेल थाना रूरा कानपुर देहात